न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/20 निर्णय दिनांकः– 14-7-22

(जीसीएमएस संख्या 2020/00082)

1. सांवरमल पुत्र गोकुलराम जाति ब्राहमण निवासी घंटेल तहसील व जिला चूरू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–05–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28–05–1999 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन एकतरफा तौर पर 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के आधार पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 07 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 18/38 के विशेष आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट् का आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट् को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट् ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट् आज दिनांक को भी राशि जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 14–01–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश बिना नोटिस व सूचना के एकतरफा तौर पर पारित किया गया है तथा जानकारी क दिन से अपील अन्दर मियांद पेश कर रहा है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् को वर्ष 1999 में आवंटित कीगई थी। अपीलांट् के इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे तब भी अपीलांट् द्वारा विगत् 21 वर्षो तक अपने आवंटन के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी अदालत मातहत से प्राप्त नहीं की गई ना ही इस संबंध में किसी प्रकार का कोई पत्राचार आदि ही अपने आवंटन के संबंध में किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट् अपने आवंटन के प्रति जागरूक नहीं रहा है। न्याय का भी यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट् ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 07 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 18/38 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन किया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को नोटिस/चालान राशि 35 प्रतिशत राशि रूपये 27432/– दिनांक 28–05–1999 को जारी करते हुए सात दिवस में जमा करवाने हेतु पाबन्द किया गया। किन्तु अपीलांट ना तो अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आया ना ही अपीलांट् द्वारा 35 प्रतिशत जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। न्यायालय अंतहीन समय तक किसी आवेदक का इंतजार नहीं कर सकता व ना ही वादग्रस्त भूमि कोआराजीराज रखते हुए अन्य

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवेदकों/काश्तकारों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने पर व वांछित वांछित राशि जमा नहीं करने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के अभाव में खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण पर खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 28–05–1999 बहाल रखा जता है।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14/7/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर